



17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र.क्र निगरानी /2017

R 962 - I-17

भगवान सिंह कोटवार, पुत्र-दुर्जन
अहिरवार, उम्र-34 वर्ष, व्यवसाय -
ग्राम कोटवार, निवासी- ग्राम देवराजी
तहसील बीना जिला सागर म.प्र

आवेदक

विरुद्ध

1. मेहरबान सिंह लोधी, पुत्र-घनश्याम सिंह
2. बाबूलाल पुत्र घनश्याम सिंह
3. दामोदर पुत्र प्यारेलाल लोधी
4. लक्ष्मी बाई पत्नी प्यारेलाल लोधी
समस्त निवासिगण- ग्राम देवराजी
थाना भानगढ़ तहसील बीना जिला
सागर
5. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला
सागर म.प्र.

अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 09.03.2017
जिसे अपर आयुक्त सागर संभाग ने अपने यहां के प्र.क्र.385-अ/56/16-17 में
पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम देवराजी
तहसील बीना जिला सागर का वंशानुक्रम रूप से कोटवार पदस्थ था। पूर्व में

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-962-एक/2017

जिला - सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर.
25.09.2017	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण उनके समक्ष अभी सुनवाई हेतु लंबित है, तथा उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार के उपरांत आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आदेश निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के इस आदेश में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p>प्रशासकीय सदस्य</p>

3

25/9/17
प्रशासकीय सदस्य